



8.3.2021

छत्तीसगढ़ विधान सभा
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 (फाल्गुन 17, 1942)

की अनुपूरक कार्यसूची

पद क्रम 7. वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा के उपपद
(4) के पश्चात् क्रमशः निम्नानुसार उप पदों सम्मिलित कर पढ़ा जाये:-

- (5) श्री टी. एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित-
- | | | |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| मांग संख्या | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी) |
| मांग संख्या | 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय |
- (6) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विभागों से संबंधित-
- | | | |
|-------------|----|--|
| मांग संख्या | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय |
|-------------|----|--|
- (7) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित-
- | | | |
|-------------|----|--|
| मांग संख्या | 47 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग |
| मांग संख्या | 44 | उच्च शिक्षा |
| मांग संख्या | 46 | विज्ञान और टेक्नालॉजी |
| मांग संख्या | 43 | खेल और युवक कल्याण |

क्रमशः 2

(8) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	65	विमानन विभाग

पद क्रम 7. के पश्चात् पदक्रम

8. शासकीय विधि विषयक कार्य को सम्मिलित कर पढ़ा जाये

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) का पुरःस्थापन* करेंगे।

रायपुर,
दिनांक 8 मार्च, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्।